फोन न0 0612–2219545 (का
फैक्स न0–0612–22189
Email : dampatnaarmssection@gmail.co
dm-patna.bih@nic.i

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

26-07-2013

–: आदेश :–

आवेदक **मो0 महबूब आलम,** पिता–स्व0 युनुस, सा0–मिरगुलाबी की बाग सदर गली, पो0–झाऊगंज, थाना–खाजेकलां, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बो रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–366/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त क सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–26.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई व क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनका दवा एवं कपड़े का व्यवसा हैं। उनके फूफेरे भाई मो0 परवेज की हत्या वर्ष 1997 में हुई थी, जिसके संबंध खाजेकलां काण्ड सं0– 4/97, दिनांक–05.01.1997 दर्ज किया गया है। वे संयुक्त परिवा में रहते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्ग करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1223/गो0, दिनांक–11.10.201 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित किया गय है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा थानाध्यक्ष, खाजेकलां के जाँ प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गय है। थानाध्यक्ष, खाजेकलां द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे व्यवसाय करते हैं। आवेदव के फूफेरे भाई मो0 परवेज की हत्या वर्ष 1997 में हुई, जिस संबंध में खाजेकलां थान काण्ड सं0–4/97, दिनांक–05.01.1997 दर्ज की गयी है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन ए उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों क सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपन जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वार

उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त मो0 महबूब आलम पिता–स्व0 युनुस, सा0–मिरगुलाबी की बाग, सदर गली, पो0–झाऊगंज, थाना–खाजेकलां जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

मो0 आलम को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।